

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1252] No. 1252] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2007/आश्विन 23, 1929 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2007/ASVINA 23, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1758(अ).— केन्द्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अक्तूबर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 से धारा 10 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), धारा 87, धारा 88, धारा 91 और धारा 101 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. पी. 15025/4/2007-पीएच (खाद्य)/डीएफक्यूसी] देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2007

S.O. 1758(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of The Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 15th day of October, 2007, as the day on which the provisions of Sections 4 to 10 (both inclusive), Sections 87, 88, 91 and 101 of the said Act shall come into force.

[F. No. P. 15025/4/2007-PH (Food)/DFQC]
DEBASISH PANDA, Jt. Secy.